27-5-22	अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 उपस्थित। पत्रावली पर उभय पक्षों को सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा बहस करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि तहसील कोलायत के वाके ग्राम धेरूवाल के खेत खसरा नम्बर 1 में 16.6200 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर 2 मे 16.6200 हेक्टर भूमि जोकि अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट्स की सामलाती खाते की भूमि है, जिसके विभाजन का वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा विभाजन के नियमों की अवहेलना करते हुए वादग्रस्त भूमि के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। हस्तगत् भूमि के संबंध में पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट् की अपील को रिमाण्ड करते हुए अभिलिखित किया गया था कि सभी हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करें। अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं करते हुए बिना जवाब प्राप्त किये व प्रकरण में अन्य प्रार्थी द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर विना निर्णित किये आनन–फानन में मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से आदेश जैर अपील किया गया है। अदालत मातहत के उक्त आदेश से अन्य सहखातेदारों को उनके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। उन्होनें आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में खाता विभाजन आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार करने का कथन किया गया है, जबकि अपीलांट् द्वारा न तो सहमति प्रदान की गई ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा सह खातेदारों को सुनवाई का संपूर्ण अवसर प्रदान किये बिना मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। आराजी जैर में सभी सह खातेदारों का समान कब्जा काश्त कानूनन होता है, तथा सहखातेदारों के वीच बाई मिट्स एण्ड बॉउण्ड विभाजन कराने की सहमति दी ना ही कब्जे काश्त के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। आराजी जैर पर सभी सह खातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है इसलिए कब्जे के अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए तमाम कानूनी प्रावधानों को अनदेखा किया गया है। चूंकि अपीलांट् वादग्रस्त भूमि का सह खातेदार है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का	

संतुलन अपीलांट् के पक्ष में साबित है। दौरान अपील यदि अपीलांट् को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल किया गया तो अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील कोलायत के वाके ग्राम धेरूवाल के खेत खसरा नम्बर 1 में 16.6200 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर 2 मे 16.6200 हेक्टर भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट्स की एक संयुक्त खाते की भूमि है। जिसके बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 53 आरटीए के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5, 6, 8 द्वारा विभाजन की सहमति प्रदान की गई तथा अपीलांट्/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाब हेतु बार–बार समय चाहे जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को जवाब हेतु पर्याप्त समय प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर वादग्रस्त भूमि का कब्जे काश्त व धारण की भूमि के अनुसार तहसीलदार कोलायत को प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये गये है। यदि अपीलांट् उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित भी है तो वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु अपीलांट् द्वारा अन्य सह खातेदारों को केवल मात्र तंग व परेशान करने की नियत से उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए तथ्यों को छिपाते हुए प्रस्तुत की गई है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 वादग्रस्त भूमि का सह खातेदार है जिसे अपने हक व हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग का कानूनी अधिकार है। यदि स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 को अपने हक व हिस्से की भूमि पर कार्य करने में बाधित होना पड़ेगा। प्रकरण में चूंकि अन्य सह खातेदारों द्वारा विभाजन के बाबत् अपनी सहमति प्रदान कर दी गई थी, ऐसी स्थिति में प्रकरण को अनावश्यक रूप से जैरकार रखने का कोई औचित्य नहीं होने के आधार पर अदालत मातहत द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने हुए प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। प्रकरण में विभाजन की अंतिम डिक्री जारी होना शेष है। प्रकरण में अपीलांट् यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि उन्हें अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील से

किस प्रकार से अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। केवल मात्र सह खातेदार होने से अन्य सह खातेदारों को उनके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 10–05–2022 जिसके माध्यम से आराजी जैर तहसील कोलायत के वाके ग्राम तहसील कोलायत के वाके ग्राम धेरूवाल के खेत खसरा नम्बर 1 में 16.6200 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर 2 मे 16.6200 हेक्टर भूमि के बाबत् विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग किये जाने पर उभय पक्षों को पत्रावली पर सुना गया।

प्रकरण में हमने उभय पक्षों की बहस, पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील का अवलोकन किया गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 10–05–2022 को पारित आदेश जोकि वादग्रस्त भूमि तहसील कोलायत के ग्राम धेरूवाल के खेत खसरा नम्बर 1 में 16.6200 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर 2 मे 16.6200 हेक्टर भूमि के बाबत् के विभाजन की प्राथमिक डिक्री के संबंध में जारी किया गया है। अपीलांट् का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट् को अदालत मातहत के समक्ष जवाब व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है तथा उक्त डिक्री पारित करने से पूर्व विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 10–05–2022 को वादग्रस्त भूमि के बाबत् तहसीलदार राजस्व कोलायत वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी भूमि के खाता विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। अपीलांट् यदि अदालत मातहत के उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित है तो ऐसी स्थिति में वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त कर सकते है क्योंकि प्रकरण में अभी वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतिम डिक्री जारी होना शेष है। विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी का उद्देश्य ही यह होता है कि सभी पक्षकारों के धारण/कब्जे

काश्त की भूमि को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स प्रस्ताव तैयार किये जावे व उक्त प्रस्ताव तैयार करते समय यदि किसी सह खातेदार को कोई आपत्ति होती है तो वह तत्समय अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहता है। प्रकरण में अपीलांट् भी यदि विभाजन की प्राथमिक डिक्री से किसी प्रकार से व्यथित/असहमत भी है तो वह अपनी आपत्ति विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते समय अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती दी जा सकती थी। अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आते हुए प्रस्तुत अपील के माध्यम से विभाजन की प्राथमिक डिक्री को असामयिक (Premature) स्तर पर निरस्त कराने की चेष्टा की गई है। लिहाजा अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील के मद्देनजर किसी एक पक्षकार के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य सह खातेदार को उनके विधिक अधिकारों को अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से वंचित नहीं किया जा सकता। नाही कानून इसकी अनुमति प्रदान करता है। प्रकरण में जहाँ तक अपीलांट् का यह कथन कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, इस संबंध में अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांट् द्वारा यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो उक्त आपत्ति पर विभाजन के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जावे। अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

27/5/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर